



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2018-चैत्र 23, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 04 अप्रैल, 2018

प्ररूप-सत्रह

[नियम 19(3) देखिए]

धारा-50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास योजना की घोषणा हेतु सूचना

वि.क्र.14/18.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित एवं प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी का नाम) नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है, अर्थात् आवासीय योजना के लिये ग्राम हक्कानीपुरा की कुल रकबा 34.000 हेक्टे. भूमि एवं खिलचीपुर की कुल रकबा 54.314 हेक्टे. भूमि इस प्रकार दोनों ग्रामों की कुल रकबा 88.314 हेक्टे. भूमि पर (क्षेत्र जिसमें योजना प्रस्तावित है खसरा क्रमांक सहित उसका विवरण निम्नानुसार है) इस योजना को "योजना क्र. पी-21/17" के नाम से भी जाना जाएगा.

ग्राम हक्कानीपुरा के सर्वे क्रमांक:-

2 अंशभाग 3/1/2 अंशभाग, 3/1/3 अंशभाग, 3/2 अंशभाग, 31 अंशभाग, 32, 33, 34 अंशभाग, 46 अंशभाग, 47 अंशभाग, 48, 49, 50, 51/1, 51/2 मीन-1, 51/2 मीन-2, 51/2 मीन-3, 52, 53/1/1, 53/1/2, 53/2/1, 53/2/2, 54-55 अंशभाग, 59 अंशभाग, 61, 62/1 अंशभाग, 62/2 अंशभाग, 63 अंशभाग, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1 मीन-1, 73/1, मीन-2, 73/1 मीन-3, 73/2, 73/3, 74, 92 अंशभाग (कुल रकबा 34.000 हेक्टेयर)

ग्राम खिलचीपुर के सर्वे क्रमांक:-

251/1 अंशभाग, 253 अंशभाग, 254/1, 254/2, 255 अंशभाग, 264/1 मिन-1, 264/2, 264/3, 273 अंशभाग, 278/2 अंशभाग, 283/2/2 अंशभाग, 283/2/3 अंशभाग, 305 अंशभाग, 306/1 अंशभाग, 306/2 अंशभाग, 306/3 अंशभाग, 306/4 अंशभाग, 308 अंशभाग, 309/1, अंशभाग, 309/2, 310 अंशभाग, 316/1, 316/मिन-2, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 341 अंशभाग, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 353, 354 अंशभाग, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 (कुल रकबा 54.314 हेक्टेयर).

योजना की चतुर्सीमा:-

पूर्व में	मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े बायपास रोड की ग्रीन बेल्ट की सीमा.
पश्चिम में	ग्राम खिलचीपुर सर्वे क्र. 273 अंशभाग, 305 अंशभाग, 306 अंशभाग, 308 अंशभाग, 309 अंशभाग, 310 अंशभाग, 313, 314, 315 अंशभाग, 251 अंशभाग, 266, 265, 263, 354 अंशभाग, 356, 257, 256, 255 अंशभाग.
उत्तर में	ग्राम खिलचीपुर के सर्वे क्र. 283 अंशभाग, 278 अंशभाग, 273 अंशभाग, 305 अंशभाग, 306 अंशभाग, 308 अंशभाग, 309 अंशभाग, 324, 327, 339, 340, 341 अंशभाग एवं ग्राम हक्कानीपुरा के सर्वे क्र. 2 अंशभाग.
दक्षिण में	ग्राम खिलचीपुर के सर्वे क्र. सर्वे क्र. 252, 378 एवं ग्राम हक्कानीपुरा के सर्वे क्र. 75, 94, 60/2, 60/1 (उज्जैन-तराना मार्ग).

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, किसी प्रकार का भूमि उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर नहीं करेगा.

(19) **अभिषेक दुवे,**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वृन्दावन लाल विश्वकर्मा आत्मज स्व. श्री सरमन विश्वकर्मा, ब्राम्हण शिक्षक शा .मा. शाला, माडूमर, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम झिगौरा, तहसील निवाड़ी अपने इस नाम को पं. वृन्दावन अंगिरा पुत्र स्व. श्री सरमन अंगिरा करना चाहता हूँ

अतः मुझे भविष्य में पं. वृन्दावन अंगिरा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. साथ ही मुझसे संबंधित मेरी शासकीय सेवा तथा समस्त अन्य शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में भी यही नाम संशोधित किया जावे.

पुराना नाम :
(वृन्दावन लाल विश्वकर्मा)

नया नाम :
(वृन्दावन अंगिरा)
शिक्षक शा. मा. शाला, माडूमर,
हाल-पंडित कुटी तखा अनंतपुरा,
टीकमगढ़.

(07-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम गजेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री लोकनाथ सिंह कुशवाह लिखा. जबकि मेरा नाम सोनू कुशवाह पुत्र श्री लोकनाथ सिंह कुशवाह है जो कि मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक में अंकित है जो कि सत्य व सही है. मेरे अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम गजेन्द्र सिंह कुशवाह के स्थान पर सोनू कुशवाह अंकित किया जाये. सर्वजन एवं आमजन को सूचित हों.

पुराना नाम :
(गजेन्द्र सिंह कुशवाह)

नया नाम :
(सोनू कुशवाह)
हेमसिंह की परेड गली नं. 6,
लशकर, ग्वालियर.

(08-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम प्रियम जैन, जिसकी उम्र-10 वर्ष है. जिसे मैंने परिवर्तित कर लिया है. अब नाम रूद्राक्ष जैन पुत्र श्री अनुपम जैन, निवासी-आई-1.044 विंडसर हिल्स सिरोल रोड, बोस्टन कॉलेज के सामने, ग्वालियर हो गया है.

अतः अब मेरे पुत्र को परिवर्तित नाम रूद्राक्ष जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावे एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में भी मेरे पुत्र का इसी नाम का उपयोग किया जावे.

(09-बी.) **सूचनार्थ**
अनुपम जैन.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बचपन का घरेलू नाम हुसैन मोहम्मद पुत्र श्री खान मोहम्मद था. जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में लिखा हुआ है. जबकि पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा सौहिल खान हुसैन पुत्र श्री खान मोहम्मद है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम (सौहिल खान हुसैन) के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(हुसैन मोहम्मद)

(10-बी.)

नया नाम :

(सौहिल खान हुसैन)

पिता का नाम खान मोहम्मद,
पता-मस्तान बाबा की दरगाह के सामने
वाली गली, बहोड़ापुर, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was RESHMA D/o Phatechand Kewalramani, After marriage I will be known my new name RIYA LALWANI W/o Kailash Lalwani.

Old Name:

(RESHMA)

D/o Phatechand Kewalramani,

(11-B.)

New Name :

(RIYA LALWANI)

W/o Kailash Lalwani.

फ्लेट नं. 502, इनरकोर्ट बिल्डिंग इन्द्रप्रस्थ,
सनसिटी कॉलोनी, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम धैर्यवती चौरे पुत्री श्री हीरालाल चौरे मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम अंकित है मेरा विवाह होने के बाद नाम परिवर्तित होकर नया नाम श्रीमती धैर्यवती पटेल उर्फ रानी पटेल पति श्री रमेशचन्द्र पटेल हो गया है, अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(धैर्यवती चौरे)

(16-बी.)

नया नाम :

(धैर्यवती पटेल उर्फ रानी पटेल)

पता-86-ए, भेल संगम कॉलोनी, बाग सेवानिया,
भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, कृ. हरी पुत्री स्व. श्री विपिन सिंह मेहरा भोपाल, यह अधिघोषित करती हूँ कि शादी के पश्चात् से मेरा नाम श्रीमति हर्षा संकुले पत्नी श्री हेमराज संकुले के नाम से जाना जावे और सभी सरकारी सेवा (शिक्षा विभाग) पासपोर्ट, गजट नोटिफिकेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों में इसी नाम से संशोधन किया जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी हरी मेहरा)

पुत्री स्व. श्री विपिन सिंह मेहरा.

(17-बी.)

नया नाम :

(हर्षा संकुले)

पत्नी श्री हेमराज संकुले,
जूनियर एच. आई. जी. ब्लॉक नं. 13/13,
डिपो चौराहा के पास सहयाद्री परिसर,
भदभदा रोड, भोपाल.

नाम परिवर्तन

हर आम को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व डॉ. किश्वर सुल्ताना पुत्री स्व. केप्टन अब्दुल अजीम सिद्दकी, निवासी भारत टॉकीज के पीछे शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर था. यह नाम मेरे अंकसूची एवं दस्तावेजों में अंकित है तथा शादी के उपरांत मेरा नाम डॉ. किश्वर सुल्ताना पत्नी डॉ. अब्दुल जब्बार खान, निवासी भारत टॉकीज के पीछे शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर हो गया है और इसी नाम से भविष्य में जानी पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(किश्वर सुल्ताना)

पुत्री स्व. केप्टन अब्दुल अजीम सिद्दकी.

(18-बी.)

नया नाम :

(किश्वर सुल्ताना)

पत्नी डॉ. श्री अब्दुल जब्बार खान,
निवासी भारत टॉकीज के पीछे, शिंदे की छावनी,
लश्कर, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

मे. सापट सिनॉनियम 80, अहिल्यानगर एक्सटेंशन अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश (पार्टनरशिप रजि. फर्म) का निर्माण दिनांक 12-06-2014 को फर्म एवं संस्थाएं, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा रजिस्ट्र के क्रमांक 03/27/03/00054/14 सन् 2014-15 में पंजीकृत हुई थी, जिसमें प्रथम भागीदार गौरव बब्बर पुत्र श्री धर्मपाल एवं द्वितीय भागीदार सौरभ खन्ना पुत्र सुरेशचंद्र खन्ना भागीदार थे. अब उक्त फर्म को दोनों पक्षकारों ने विघटित करने की निर्णय लिया है. अतः इस सूचना के माध्यम से उक्त फर्म को विघटित घोषित किया जाता है.

मेसर्स सापट सिनॉनियम,
सौरभ खन्ना,
(भागीदार).

(12-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firm " M/s Green Carbon Energy & Environment Services (GCEES) " of Row House No. 216, CASA Greens, Village - Talawali Chanda, Teshil- Dist Indore (M.P.) 453771 Vide Registration No. 03/27/03/00021/14, dated 17-04-2014 has undergone the following changes w.e.f. 26th of January 2018 :-

1. That Mr. Ravikant Soni S/o Shri Narayan Prasad Soni have joined the Partnership firm w.e.f. 26-01-2018.
2. That SMT. Pragya Sharma W/o Ajay Singh Thakur have retired from firm w.e.f. 26-01-2018.
3. That w.e.f. 26-01-2018 Firm,s registered office address is also shifted as below.
 - New Address: Shop No.2, ground floor" High Street Apartment" "Omax City-2 Mangliya", village -Mangliya Sadak, Tehsil Sanwer Dist, - Indore (M.P.) 453771.
 - Old Address: Row House No. 216, CASA Greens, Village - Talawali Chanda, Teshil-Dist Indore (M.P.) 453771.

" M/s Green Carbon Energy & Environment Services "
RAVI KANT SONI,
VIVEK KUMAR AHIRWAR.
(Partner).

(13-B.)

आम सूचना

सर्व-साधरण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय श्रीराम इन्फ्रास्टेचर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00084/12, दिनांक 26-07-2012 है. जिसमें दिनांक 03-04-2018 को भागीदार श्रीमती कमला शर्मा एवं वैभव शर्मा, निवासी 16, नेहरू नगर, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03-04-2018 को श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री हरीश शर्मा एवं कुबेर शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा, निवासी 16 नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म जय श्रीराम इन्फ्रास्टेचर,

सुनीता शर्मा,
(भागीदार).

सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(13-A-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधरण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जे. सी. बालाजी बस सर्विस इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) जिसका फर्म रजिस्टर्ड पंजीयन क्र. 177 सन् 1985/86 है. उक्त फर्म का विघटन 31-03-2007 को हो चुका है एवं फर्म के तीनों पार्टनर (1) चेलाराम आ. रीझूमल, (2) जीवन कुमार आ. रीझूमल, (3) राजकुमार आ. रामचंद्र क्रमशः अपना-अपना हिस्सा प्राप्त कर अलग हो चुके हैं एवं दिनांक 01-04-2017 से उक्त फर्म का पूर्ण व्यवसाय एवं फर्म के नाम सम्पतियां (बसें, जीप, स्कूटर, एस. बी. आई. का बैंक खाता एवं प्लॉट भूमि खसरा नं. 269 एवं 272 सीट नं. 1 प्लाट नं. 11/2 रकबा 8000 आठ हजार वर्गफुट एवं कबाड़ा सामान) भागीदार जीवन कुमार आ. रीझूमल, निवासी दशमेश कॉलोनी, इटारसी द्वारा अकेले ही प्रोपराइटर के रूप में संचालित कर उसके मालिक रहेंगे. उक्त फर्म के नाम की समस्त चल, अचल सम्पतियों पर किसी अन्य या संस्था का कोई अधिकार नहीं रहेगा न ही उक्त फर्म के नाम से अन्य भागीदारों से किया गया लेन-देन व्यवहार मान्य होगा.

आलोक,

पता-जीवन कुमार आ. रीझूमल हाउस नं. 3,
बड़े जग्गी के बाजु में दशमेश कॉलोनी, इटारसी.

(14-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. संतोखसिंग अवतारसिंग, मंडी बाजार बुरहानपुर भागीदारी फर्म में 14-11-1980, 09-04-1992, 30-05-2002 तथा 25-11-2017 कि लिखित भागीदारी पत्रानुसार आयकर अधिनियम की धाराओं में परिवर्तन होने के कारण से आंशिक परिवर्तन (भागीदारों में ब्याज, बैंक एकाउण्ट ऑपरेशन तथा रेमुनेशन) के साथ निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।

फर्म में मुख्य परिवर्तन फर्म के एक भागीदार श्री संतोखसिंग पिता अवतारसिंग मल्होत्रा का निधन दिनांक 2-02-2012 (02 फरवरी, 2012) को हो गया है तथा लिखित भागीदारी पत्र दिनांक 03-02-2012 को श्री तरणजीतसिंग पिता जगजीतसिंग मल्होत्रा फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं।

दिनांक 03-02-2012 से मे. संतोखसिंग अवतारसिंग फर्म में निम्न भागीदार नियमित व्यवसाय करते रहेंगे।

1. श्री जगजीतसिंग मल्होत्रा पिता श्री संतोषसिंग मल्होत्रा।
2. श्री तरणसिंग मल्होत्रा पिता श्री जगजीतसिंग मल्होत्रा।

वास्ते:- मे. संतोखसिंग अवतारसिंग,
तरणजीतसिंग मल्होत्रा,
(भागीदार)।

(20-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. भैरवनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज, पता-14-सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नीमच मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 07/34/01/0027/17, दिनांक 13-06-2017 है, जिसमें दिनांक 31-03-2018 को श्री दीपक गर्ग पिता श्री वासुदेवजी गर्ग, पता-मूलचंद मार्ग, बंगला नं. 55, नीमच (म.प्र.) का नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म मे. भैरवनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज में प्रवेश हुआ है। दिनांक 31-03-2018 से पार्टनर (भागीदार) श्री अनीष नागोरी फर्म से पृथक् हो गये हैं। वर्तमान में इस फर्म मे. भैरवनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे।

मे. भैरवनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज,
अशीष गर्ग, दीपक गर्ग,
(भागीदार)।

(21-बी.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), रतलाम

क्र.05/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक 05 मार्च 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4(2) के तहत]

क्र.05/आर-3/18.— आवेदक मु. अलिअकबर मु. फखरुद्दीन महुवाला, मेनेजर, निवासी 97, कलीमी कालोनी, रतलाम के ट्रस्टीगणों के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, कलीमी मोहल्ला, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	“दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, कलीमी मोहल्ला, रतलाम, मध्यप्रदेश ” पता-कलीमी कॉलोनी, रतलाम कार्यालय में स्थित रहेगा।
अचल सम्पत्ति	:	निल.
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया लक्कडपीठा रोड, रतलाम बैंक अकाउन्ट नम्बर 6205010100 50219.

(451)

क्र.07/बी-113(1)/2017-18.

रतलाम, दिनांक, 28 मार्च, 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र.07/आर-3/18.— आवेदक नारायण परिहार पिता श्री गंगाराम परिहार, निवासी 65, भगतपुरी रतलाम अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “श्री रघुवीर धर्मार्थ एवं परमार्थिक चेरिटेबल ट्रस्ट” 4, श्री राममंदिर भगतपुरी, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो प्रकरण में नियत दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता : “श्री रघुवीर धर्मार्थ एवं परमार्थिक चेरिटेबल ट्रस्ट ”
पता-65, भगतपुरी रतलाम स्थित रहेगा.

अचल सम्पत्ति : निल.

चल सम्पत्ति : रु. 10,499/- बैंक में जमा एवं एफ.डी. है.

अनिल भाना,
रजिस्ट्रार.

(465)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर

रा/प्र.क्र./ बी-113/2016-17.

दिनांक 04 अगस्त, 2017

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद् सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि आवेदक अरूण गांगुली पिता स्व. परेशनाथ गांगुली उम्र 69 वर्ष, व्यवसाय समाज सेवा मूल निवासी वैशाली, पशुधर्मन्त पो.आ.नवपल्ली, थाना वारासन जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल पिन कोड 700126 हाल निवास वार्ड नं-8 जमुनादादर (अमरकंटक) थाना अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-43 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2017 को न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन तारीख से एक माह के भीतर प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत किसी प्रकार के आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : ज्योतिगमया सेवा न्यास ट्रस्ट अमरकंटक वार्ड क्रमांक 8
2. चल सम्पत्ति : भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अमरकंटक,
तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर में 11,000.00 रुपये जमा.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर स्थित आराजी
खसरा क्रमांक 353/4 रकवा 0.024 हे. भूमि.

मिलिन्द कुमार नागदेवे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(452)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर, जिला इन्दौर

दिनांक 21 मार्च, 2018

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र/707.—आवेदक परवार जैन इंदौर स्मार्ट सिटी सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट-110, स्टर्लिंग टावर 2, एमजी रोड इंदौर मध्यप्रदेश न्यासीगण श्री सुभाष चंद्र जैन पिता स्व. श्री कपूरचंद जी जैन निवासी 04, अर्चना अपार्टमेन्ट, 8-बी, रतलाम काठी इंदौर द्वारा परवार जैन इंदौर स्मार्ट सिटी सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट-110, स्टर्लिंग टावर 2, एमजी रोड इंदौर मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	परवार जैन इंदौर स्मार्ट सिटी सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	110, स्टर्लिंग टावर 2, एमजी रोड इंदौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर बनाये गये सेंटर, शिरोमणी संरक्षक परम संरक्षक रहेंगी.
चल सम्पत्ति	:	5,000 (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(463)

दिनांक 21 मार्च, 2018

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र/705.—आवेदक संस्कृति संवर्धन न्यास ट्रस्ट न्यासीगण श्री अशोक बड़जात्या पिता श्री श्रीपाल बड़जात्या निवासी श्री कमल, 23/1, डॉ.आर.एस.भंडारी मार्ग न्यू पलासिया इंदौर द्वारा संस्कृति संवर्धन न्यास ट्रस्ट- 05वीं मंजिल, मिलिंदा मेनोर, 2 आर.एन.टी.मार्ग इंदौर मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	संस्कृति संवर्धन न्यास ट्रस्ट.
पता	:	05वीं मंजिल, मिलिंदा मेनोर, 2 आर.एन.टी.मार्ग इंदौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	05वीं मंजिल, मिलिंदा मेनोर, 2 आर.एन.टी.मार्ग इंदौर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	5,111/- (अक्षरी रुपये पांच हजार एक सौ ग्यारह रुपये.)

आज दिनांक मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(466)

शाश्वत शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा.प्र.क्र.03/बी-113(1)/2017-18.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी स्व. कमला देवी तोमर चेरीटेबल ट्रस्ट तर्फे राजेन्द्र सिंह तोमर द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	
01	चल संपत्ति	निरंक	निरंक	-
02	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक	-

राजेन्द्र सिंह,

(464)

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री दशरथ पिता भुवानीराम जी पाटीदार

अध्यक्ष श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या.

चचावदा पठारी.

श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., चचावदा पठारी, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1021 मन्दसौर, दिनांक 23 जुलाई, 2013 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)

के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 09 मार्च, 2018 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(454)

दिनांक 23 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी
संस्था मर्या., बरखेडालोया.

क्र./396/परि./2018.-श्री सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बरखेडालोया जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-1259 मन्दसौर, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.

1. संस्था वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र./एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 09 मार्च, 2018 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(455)

मन्दसौर, दिनांक 23 फरवरी, 2018

क्र./393/परि./2018.—हितकारी साख सहकारी समिति मर्या, ढलमू जिसका पंजीयन क्रमांक-1334, दिनांक 18 मई, 2015 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-467, दिनांक 05 मई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ की संस्था का निगम-निकाय बॉडी कार्पोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(453)

ओ.पी.गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 12 फरवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,
 प्रशासक/प्रबंधक,
 ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति
 मर्या. शाहगढ़, वि.ख. शाहगढ़
 जिला सागर (म.प्र.)

क्र./परि./2018/326.- कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की उपविधियों के अनुसार.

1. श्री ए.एल.गौड़, निवारचन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था के सदस्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है. संस्था अकार्यशील है. इस कारण संस्था का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो पा रहा है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99 पन्द्रह 1सी. भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. शाहगढ़ को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(456)

पी.आर.कावड़कर,
 उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2018/608.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/1149, दिनांक 26 मई, 2017 के द्वारा तार परियात कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 760 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सुनील कुमार खरे सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक

एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तार परियात कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 760, का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(459)

जबलपुर, दिनांक 09 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2018/607.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/1312, दिनांक 09 जून, 2017 के द्वारा मां वैष्णव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या, जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1456 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां वैष्णव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या, जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1456, का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी.पी.प्रजापति,

सहायक पंजीयक.

(460)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, सरली जिसका पंजीयन क्रमांक 3137, दिनांक 04 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री बी.एल.बागोरा, स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निवार्चन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशांसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर खीज उत्पादक सह.सरली पंजीयन क्रमांक 3137, दिनांक 04 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री बी.एल.बागोरा, स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ओ.पी.गुप्ता,

उप-पंजीयक.

(458)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

दिनांक 26 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमाप आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	ऋषिराज बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सह.संस्था मर्या. कचनारियाझाला, तह. उज्जैन	1763/16-01-2011	959/दिनांक 18.03.2017

अतः मैं, बी.एस.बक्तरिया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समितियों का कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतित होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

बी. एस. बक्तरिया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(461)

दिनांक 22 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्रं.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. उंचाँहैड़ा	2251/01-10-2015	3561/08.12.2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. दाउदखेड़ी	2255/05-10-2015	3561/08.12.2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. पानवासा	2248/01-10-2015	3561/08.12.2016
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. मालाखेड़ी	2249/01-10-2015	3561/08.12.2016
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. बेहलोला	2250/01-10-2015	3561/08.12.2016
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. जवासियाकुमार	2241/30-09-2015	3561/08.12.2016
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. कड़छा	2238/29-09-2015	3561/08.12.2016
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. बोलासा	2067/27-03-2015	3561/08.12.2016
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.सं.मर्या. धुआंखेड़ी	2064/27-03-2015	3561/08.12.2016

अतः मैं, बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समितियों का कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना-पत्र आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

बी.एस.पटेल,

(462)

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अंतर्गत प्रगति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेड़ी पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को आदेश क्रमांक 1590, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर.के.सोनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुर्नजीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में, यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुर्नजीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत प्रगति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेड़ी का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री आर.के.सोनी को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(457)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1290, दिनांक 11 मई, 2012 आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मालीपुरा, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 961, दिनांक 10 अगस्त, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(467)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 819, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 जय श्री बलराम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सुनवानी गोपाल, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर.के.सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेंक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(468)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 830, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 अनन श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1584, दिनांक 22 जुलाई, 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री.बी.एल.गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेंक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(469)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1587, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 आर.एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुराड़िया भील, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 11 जून, 2010 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेंक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेंक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(470)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ओडनी पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 का संस्था द्वारा निवारण नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1962, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है, संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 593, दिनांक 21 फरवरी, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ओडनी पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोहर केथवास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(471)

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुरा पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 08 मार्च, 2011 का संस्था द्वारा निवारण नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1948, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है, संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 589, दिनांक 21 फरवरी, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुरा पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 08 मार्च, 2011 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री ए.के. जैन, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(472)

सरदार बल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तोत्तर पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 08 फरवरी 2012 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 188/06 जनवरी, 2018 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन अनुसार संचालक मंडल के नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 22 जनवरी, 2018 को संस्था में उपस्थित हुए किन्तु किसी भी सदस्य के द्वारा निर्धारित समय में नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका पंचनामा तैयार किया गया है। पंचनामा अनुसार संस्था

अकार्यशील होकर संस्था के कार्यव्यवसाय के प्रति कोई रुचि नहीं होना बताया है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 590, दिनांक 21 फरवरी, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार बल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दत्तोत्तर पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 08 फरवरी, 2012 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(473)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घटियाकलां पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 07 फरवरी 1981 का संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7-क)(ख) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1908, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 से संस्था के प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था द्वारा प्रशासक को आज दिनांक तक ना ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है एवं ना ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है, संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 591, दिनांक 21 फरवरी, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घटियाकला पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 07 फरवरी, 1981 को अधिनियम की धारा-69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंके, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(474)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2018-चैत्र 23, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के निर्मांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक— तहसील निवाडी, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), सागर, मालथोन (सागर), उदयपुरा (रायसेन), चितरंगी (सिंगरौली) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक.—तहसील पाण्डुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक.—तहसील जतारा (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. **जुताई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, आगर, शाजापुर, झाबुआ, धार, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा में जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **बोनी.**— जिला मुरैना में सरसों, डिण्डोरी में राई, धार में गेहूँ, चना, सतना में चना, मसूर, अलसी, गुना में गेहूँ व चना, राई-सरसों, धान व मसूर तथा जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **फसल स्थिति.**— जिला सतना में पानी की कमी से धान व सोयाबीन, जिला शहडोल में अल्पवर्षा से धान, कोदोंकटकी, तिल जिला सीधी में पानी की कमी से धान, जिला बैतूल में सोयाबीन पर पीला मैजिक रोग, जिला हरदा में खरीफ फसलों पर अल्प वर्षा, कीट व रोमोरोग से जिला नरसिंहपुर में सोयाबीन फसल पर पीला मैजिक रोग से आंशिक प्रभाव होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **कटाई.**— जिला बालाघाट, अनूपपुर, डिण्डोरी में धान, बुरहानपुर में सोयाबीन, मूंगफली व मक्का की कटाई एवं कपास की चुनाई तथा अशोकनगर, पन्ना, दमोह, सीधी, उज्जैन, खरगौन, राजगढ़, बैतूल, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. **सिंचाई.**- जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, बैतूल, हरदा, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है. जुताई चालू है. सरसों की बोनी प्रारंभ.	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर कमी. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, ग्वार, कपास, समान. (2) गन्ना, ज्वार, तुअर, ग्वार, कपास सुधरी. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. गोरमी 7. रौन/मिहोना 8. मौ	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. धान समान. तिल, उड़द, मूँग कम. (2) गन्ना समान. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू. जुताई चालू. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, मूंगफली, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	11.0				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	35.0				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	1.0				
6. पलेरा	2.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामल्हरा	..				
8. महाराजपुर	..				
9. चंदला	..				
10. धुवारा	..				
11. लवकुश नगर	..				
12. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है. रबी बुवाई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	2.4				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	4.0				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू. खरीफ फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, ज्वार, धान, मक्का, तुअर, मटर, चना सुधरी (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. चना, मसूर, अलसी की बोनी चालू है. पानी की कमी से धान एवं सोयाबीन में क्षति हुई है.	3. . . 4. (1) अरहर समान. धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) अरहर समान. धान, सोयाबीन बिगड़ी हुई है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, सोयाबीन कम. उड़द, मूंग, तुअर, ज्वार, कोदों अधिक. (2) सोयाबीन, मूंग, उड़द, बिगड़ी शेष फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .	बोनी चालू.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, अधिक. कोदों, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .	धान, कोदों-कुटकी, तिल पर अल्प वर्षा से 40% क्षति.	(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	बोनी कार्य चालू.	4. (1) धान, तुअर, कोदों, राई, अलसी समान. मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	धान की कटाई चालू.	(2) धान बिगड़ी. शेष समान.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	रबी बोनी चालू है.	4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल अधिक. मक्का, कोदों-कुटकी, मूंगमोठ समान. धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) धान बिगड़ी हुई.		
3. चोंदिया	. .		शेष फसलें समान है.		
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. खरीफ की कटाई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .	रबी फसलों का जुताई कार्य चालू. रबी फसल की बोनी चालू.	4. (1) अलसी- समान. राई-सरसों, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .	अवर्षा से धान 33% तक प्रभावित.			
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	7.4	बोनी कार्य चालू.	4. (1) ज्वार, राहर, कोदों, तिल, धान, अलसी, राई, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) धान बिगड़ी. शेष फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई प्रारंभ है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) सरसो, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधडक्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) मक्का, उड़द, मूंगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक. सोयाबीन, अरहर,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	. .		तिल, मूंग, ज्वार कम.		
4. जीरन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		सोयाबीन, कपास.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य प्रचलित कटाई कार्य प्रचलित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोबनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		तुअर, उड़द, मूंग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4.(1) सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		मूंग, तिल, मूंगफली अधिक.		
4. बागली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. उड़द पर येलो मोजेक का प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द. अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उड़द बिगड़ी शेष फसलें बिगड़ी हुई.		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
6. उदयगढ़	..				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. गेहूँ चना की बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना समान. मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) . .		
3. इन्दौर	..				
4. हातोद	..				
5. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ की कटाई कार्य चल रहा है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट (राजपुर)	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पुनासा	. .		(2) . .		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	व मक्का की कटाई एवं	4. (1) कपास, मूंगफली, तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .	कपास की चुनाई कार्य	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .	चालू है.			
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. कटाई प्रारम्भ हो चुकी.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, मूंगफली, उड़द	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		कम. मक्का, अरहर,	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .		सोयाबीन, मूंग, तिल.		
4. ब्यावरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान, ज्वार.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) धान चरी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	बोनी चालू है.	4. (1) धान अधिक. ज्वार, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		कम. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार.		
4. गोहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	10.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .	का कार्य चालू सोयाबीन	4 (1) सोयाबीन, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .	पर पीला मोजेक की	मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .	शिकायत.	(2) मक्का सुधरी शेष बिगड़ी		
4. शाहपुर	. .		हुई.		
5. चिचौली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. *जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिवनी मालवा	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों पर अल्प	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	वर्षा से आंशिक रूप	4 (1) उड़द, मूँग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .	कीट एवं रोमों का प्रभाव	सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .	है.	(2) . .		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .	बोनी कार्य चालू है.	4 (1) मूँग, उड़द अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मक्का, तुअर, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी) मु.	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.. बोनी प्रारम्भ है. सोयाबीन पर पीला मैजिक का प्रभाव.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, मक्का, तिल, रामतिल, सोयाबीन, समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. राई बोनी कार्य चालू है. धान की कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोदों कुटकी, तुअर, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान, मूंगफली समान. (2) मक्का, धान सामान्य. शेष फसलें बिगड़ी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुर्णा	. 19.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, मूंग, तिल, रामतिल, सन्, अम्बाड़ी कम. ज्वार, समा, उड़द, सोयाबीन गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. घनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान कटाई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्रा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	. .				

टीप :- *जिला खण्डवा, होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.